प्रेस नोट दि0- 24.05.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा-

अन्तर्जनपदीय शातिर टप्पेबाज गिरफ्तार: अवैध देशी बम व चोरी की मोटरसाइकिल सहित पकड़ा गया अपराधी

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कामयाबी: शातिर अभियुक्त अवैध बम व चोरी की बाइक सहित गिरफ्तार

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा 04 अदद देशी बम नाजायज व 01 अदद चोरी की मोटर साइकिल(कूटरचित नंबर प्लेट) के साथ 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
अन्तर्जनपदीय अभियुक्त के विरुद्ध जनपद प्रतापगढ़, रायबरेली में टप्पेबाजी, चोरी, विस्फोटक पदार्थ के लगभग 05 अभियोग पंजीकृत है।
थानाआसपुर देवसरा पुलिस द्वारा थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत नीमा नहर पुलिया के पास अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री धीरेन्द्र ठाकुर के नेतृत्व में उ0नि0 अजय कुमार अंचल मय हमराह उ0नि0 श्री राजन कुमार बिन्द व हे0का0 भानु प्रताप सिंह, हे0का0 पवन नायक, का0 ज्वाला सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त सन्तोष सैनी पुत्र बाबू लाल सैनी निवासी सीताकुण्ड थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 45 को 04 अदद देशी बम नाजायज व एक अदद चोरी की मोटर साइकिल (कूटरचित नंबर प्लेट) के साथ थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत नीमा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 04 अदद देशी बम नाजायज व 01 अदद चोरी की मोटर साइकिल (कूटरचित नंबर प्लेट) बरामदगी के संबंध में थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 137/25 धारा 317 (2) / 319 (2)/318(4)/338/336(3) / 340 (2) बीएनएस व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम टप्पेबाजी का काम करता हूँ इसलिये मेरी कई लोगो से भलाई बुराई है जिस वजह से मै अपने सुरक्षा हेतु अबैध बम लेकर चलता हूँ। दिनांक- 23.12.2024 को एक लेबर को लेकर जिसका नाम पता मुझे नही मालूम था, को लेकर सदहा बाजार पट्टी में कपड़े की दुकान से दुकानदार से 20 हजार रूपये की टप्पेबाजी किया था।

दिनांक 02.02.2025 को दिन के समय रास्ते से एक व्यक्ति को पैसे देकर अपने साथ लेकर पट्टी बाजार में सोनू मोनू स्वीट हाउस के बगल में फल की दुकान पर दुकानदार से फल खरीदते समय 20 हजार रूपये का ठगी किया था।

मैनें थाना डलमऊ जनपद रायबरेली में चोरी करते हुये पकड़ा गया था। मै गाड़ी व व्यक्ति को बदल-बदल कर टप्पेबाजी करता हूँ।

दिनांक 22.5.2025 को दिन में अमरगढ़ बाजार में कास्मेटिक की दुकान पर जाकर 10 हजार रूपये का टप्पेबाजी कर भाग गया था। कास्मेटिक के दुकानदार द्वारा किसी तरह मेरी पत्नी चन्द्रा देवी का मो० नम्बर पता करके उससे बात-चीत कर अपना पैसा कई टुकड़ो में मेरी पत्नी ने अपने खाते से दुकानदार के स्कैनर पर भेज दिया गया था।

मेरे टप्पेबाजी में मेरी पत्नी चन्द्रा देवी का पूर्ण सहयोग रहता है, मेरे टप्पेबाजी में प्राप्त धनराशि का हिसाब किताब व लेन देन मेरी पत्नी द्वारा किया जाता है। जहां पर फसने की आंशका होती है तो कुछ पैसे वापस कर मामला रफा दफा करा लिया जाता है। मै व मेरी पत्नी का मुख्य कार्य टप्पेबाजी ही है। टप्पेबाजी से ही मेरा व मेरे परिवार का जीवकोपार्जन होता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01- सन्तोष सैनी पुत्र बाबू लाल सैनी निवासी सीताकुण्ड थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 45।

आपराधिक इतिहास-
अभियुक्त सन्तोष सैनी पुत्र बाबू लाल सैनी निवासी सीताकुण्ड थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 45 का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 135/25 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस थाना आसपर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 137/25 धारा 317(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 375/24 धारा 318(4) बीएनएस थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 32/25 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0 45/25 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना डलमऊ जनपद रायबरेली।

बरामदगी का विवरण-
04 अदद देशी बम नाजायज व एक अदद चोरी की मोटर साइकिल (कूटरचित नंबर प्लेट)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 अजय कुमार अंचल मय हमराह उ0नि0 श्री राजन कुमार बिन्द व हे0का0 भानु प्रताप सिंह, हे0का0 पवन नायक, का0 ज्वाला सिंह थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर-

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा गोवध अधि0 व पशु क्रुरता निवारण अधि0 से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत हण्डौर तिराहे से किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित वारण्टी अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री अरूण कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 शहंशाह् खान मय महराह उ0नि0 श्री पवन वर्मा, का0 प्रमेश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना लीलापुर के मु0अ0स0 23/25 धारा 3/5/8 गो हत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 325 बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त सुन्दर तिवारी पुत्र स्व0 राजेश तिवारी निवासी हैदरेपुर थाना मुगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत हण्डौर तिराहे से किया गया गिरफ्तार।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- सुन्दर तिवारी पुत्र स्व0 राजेश तिवारी निवासी हैदरेपुर थाना मुगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर।

पुलिस टीम-

उ0नि0 शहंशाह खान मय महराह उ0नि0 श्री पवन वर्मा, का0 प्रमेश यादव थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर-

अवैध असलहे के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार – पिस्टल व कारतूस बरामद

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 अदद देशी पिस्टल 32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत गुप्ता मेडिकल स्टोर के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण बैस के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री जय चन्द्र भारती के नेतृत्व में उ0नि0 राजेश कुमार राय उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह का० शैलेश का0 रंजीत द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त उत्कर्ष सिंह पुत्र रमेश प्रताप सिंह उम्र 29 वर्ष निवासी तेलियर चौराहा सन्त निवास प्रसाद सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रांतर्गत कोतवाली नगर के गुप्ता मेडिकल स्टोर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियक्त के कब्जे से 01 अदद देशी पिस्टल 32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 221/2025 धारा 3/25 आम्र्स एक्ट पंजीकृत किया गया। बरामद 01 अदद एवेन्जर मोटर साइकिल धारा 207 एमवीएक्ट में सीज किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01- उत्कर्ष सिंह पुत्र रमेश प्रताप सिंह उम्र 29 वर्ष निवासी तेलियर चौराहा सन्त निवास प्रसाद सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 01 अदद देशी पिस्टल 32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 राजेश कुमार राय उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह का० शैलेश का0 रंजीत थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर-
हत्या के प्रयास में वांछित तीन शातिर अभियुक्त अवैध असलहे सहित गिरफ्तार

हत्या का प्रयास, गाली गलौज व धमकी देने के अभियोग से संबंधित 03 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, अभियुक्त इमरान की निशानदेही पर 01 अदद देशी अवैध पिस्टल 32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया
अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद में हत्या का प्रयास, मारपीट, आर्म्स एक्ट जैसे अभियोग पंजीकृत है-
अभियुक्तों को थाना क्षेत्र मऊआईमा से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी के पड़ोसी दिनांक 21.05.2025 को घर पर अपने पिता की लाइसेन्सी रायफल तथा अवैध असलहों से लैस होकर चढ़ आये व जान से मारने की नियत से वादी के ऊपर फायर किये थे वादी को विपक्षीगण एक राय होकर गाली-गलौज करते हुए हुए जान से मारने का प्रयास किया गया था। जिसके सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना देल्हूपुर पर मु0अ0सं0 47/2025 धारा-191(2)/191(3)/190/109(1)/352/351(3)/324(2)/288/61(2) बीएनएस व 7 CLA ACT बनाम 05 नामजद व 4-5 अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी देल्हूपुर राधेबाबू के नेतृत्व में उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री वकील राम, हे0का0 इरफान अहमद, हे0का0 हरिकेश कुमार, का0 विकास यादव, का0 यनेन्द्र, का0 दिलीप कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग से संबंधित 03 वांछित अभियुक्तों, 01. मो0 इमरान पुत्र महबूब आलम उम्र करीब 30 वर्ष, 2. अफसार पुत्र महबूब आलम उम्र करीब 36 वर्ष 3. एजाज अहमद पुत्र निसार अहमद उम्र करीब 40 वर्ष समस्त निवासीगण कुल्हीपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र मऊआइमा प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त इमरान की निशानदेही से 01 अदद देशी अवैध पिस्टल 32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है। उक्त बरामदगी के संबंध में उक्त अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. मो0 इमरान पुत्र महबूब आलम उम्र करीब 30 वर्ष
2. अफसार पुत्र महबूब आलम उम्र करीब 36 वर्ष
3. एजाज अहमद पुत्र निसार अहमद उम्र करीब 40 वर्ष
समस्त निवासीगण कुल्हीपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़

आपराधिक इतिहास-
01- मो0 इमरान पुत्र महबूब आलम उम्र करीब 30 वर्ष निवासी कुल्हीपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 47/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/352/351(3)/324(2)/288/61(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) व 7 CLA ACT व बढ़ोतरी धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 43/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/352/131/333/109(1)/324(2)/351(3) भारतीय न्याय संहिता थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 212/2025 धारा 191(2)/ 132/ 121(1)/ 221/ 352/351(2)/115(2)/109/309(5) भारतीय न्याय संहिता थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0 92/2023 धारा 352/427/ 447/504/506 भादवि थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

02- अभियुक्त अफसार पुत्र महबूब आलम उम्र करीब 36 वर्ष निवासी कुल्हीपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 47/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/352/351(3)/324(2)/288/61(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) व 7 CLA ACT व बढ़ोतरी धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 43/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/352/131/333/109(1)/324(2)/351(3) भारतीय न्याय संहिता थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 92/2023 धारा 352/427/ 447/504/506 भादवि थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

03- अभियुक्त एजाज अहमद पुत्र निसार अहमद उम्र करीब 40 वर्ष निवासी कुल्हीपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 47/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/352/351(3)/324(2)/288/61(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) व 7 CLA ACT व बढ़ोतरी धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 166/2013 धारा 352/323/504/506 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
अभियुक्त इमरान की निशानदेही पर 01 अदद देशी अवैध पिस्टल 32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री वकील राम, हे0का0 इरफान अहमद, हे0का0 हरिकेश कुमार, का0 विकास यादव, का0 यनेन्द्र, का0 दिलीप कुमार थाना देल्हूपुर, प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात-

हत्या के दो आरोपी गिरफ्तार — प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता-

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या करने के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियुक्तों को थाना क्षेत्रान्तर्गत बढ़नी मोड़ से दक्षिण ओर पुराने टूटे हुए महुए के पेड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-
दिनांक 08.05.2025 को वादी के पिता को गांव के ही व्यक्ति उदयराज सिंह, विजय बहादुर सिंह, प्रभात सिंह द्वारा एक राय होकर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से हमला किया जिससे वादी के पिता गंभीर रूप से घायल हो गये थे। जिनका इलाज हेतु एसआरएन प्रयागराज भेजा गया था। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 113/2025 धारा 115 (2), 352, 351 (2), 333 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था। वादी के पिता की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। जिसके संबंध में मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1) बीएनएस की बढोत्तरी की गई थी।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली देहात प्रभारी निरीक्षक श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में निरीक्षक प्रमोद कुमार मय हमराह उ0नि0 अखिलेश प्रताप, का0 मनीष पाण्डे, का0 धनन्जय द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश अभियुक्त/वारण्टी, विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात के मु0अ0सं0 113/2025 धारा 115 (2), 352,351 (2), 333,103 (1) बीएनएस से सं ंबंधित 02 अभियुक्तों 1. उदयराज सिंह पुत्र स्व0 गुनी सिंह उर्फ रामसुमेर सिंह उम्र 55 वर्ष 2. विजय बहादुर सिंह पुत्र उदयराज सिंह उम्र 25 वर्ष निवासीगण ग्राम ढेरहना थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र कोतवाली देहात के बढ़नी मोड़ से दक्षिण ओर पुराने टूटे हुए महुए के पेड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरणः-
गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 08.05.2025 को समय करीब 05.30 बजे सुखदेव, शेरबहादुर आदि से लड़ायी झगड़ा व मार पीट हो गयी थी। जिसमें कल हम लोगो को पता चला कि सुखदेव की मृत्यु हो गयी है तो गिरफ्तारी के डर से हम लोग यहां से रायबरेली होते हुए लखनऊ व लखनऊ से ट्रेन पकड़कर मुम्बई भागने वाले थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. उदयराज सिंह पुत्र स्व0 गुनी सिंह उर्फ रामसुमेर सिंह उम्र 55 वर्ष

2. विजय बहादुर सिंह पुत्र उदयराज सिंह उम्र 25 वर्ष निवासीगण ग्राम ढेरहना थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
निरीक्षक प्रमोद कुमार मय हमराह उ0नि0 अखिलेश प्रताप, का0 मनीष पाण्डे, का0 धनन्जय थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज-
किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर ₹5.75 लाख की ठगी करने वाली 01 अभियुक्ता गिरफ्तार-

मानव अंग प्रत्यारोपण के नाम पर धोखाधड़ी में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार।
थाना रानीगंज पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र के ग्राम कूराडीह के पास से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
उक्त अभियोग से संबंधित 01 अन्य अभियुक्त रोहित कुमार यादव को दिनांक 23.05.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी ने अपनी पत्नी की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मदद की अपेक्षा करते हुए आरोपीगण से संपर्क किया था। आरोप है कि अभियुक्तगण ने वादी से किडनी उपलब्ध कराने के नाम पर फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी के माध्यम से कुल ₹5,75,000 की धनराशि वसूल की। जिसके संबंध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 147/2025 धारा 316(2), 319(2), 351(3), 338, 336(3), 340(2), 111 बीएनएस व धारा 19 मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 बनाम 02 नामजद व अन्य साथी नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डाॅ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल के मार्ग दर्शन व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम/ अंकुश लगाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में प्र*भारी निरीक्षक थाना रानीगंज श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में निरीक्षक शशिकान्त यादव मय हमराह कां० मनोज व म0का0 अर्चना वर्मा* द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मूखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 147/2025 धारा 316(2), 319(2), 351(3), 338, 336(3), 340(2), 111 बीएनएस व धारा 19 मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 से संबंधित वांछित 01 अभियुक्ता को थानाक्षेत्र के ग्राम कूराडीह के पास से गिरफ्तार किया गया।

उक्त अभियोग से संबंधित अन्य 01 अभियुक्त रोहित कुमार यादव पुत्र बजरंगबली उर्फ बजरंगी यादव निवासी ग्राम बभनमई थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 23.05.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्ता से पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्ता ने पूछताछ में बताया कि मैने रोहित से वर्ष 2015 मे शादी की थी। मुझे नही पता था कि रोहित पहले से शादी शुदा है। बाद मे जब जानकारी हुई तो रोहित की पहली पत्नी और मैने आपस मे सामन्जस बनाये रखा किसी को कोई ऐतराज नही था। मै रोहित के साथ मुम्बई मे रहती थी तथा पूनम घर पर रहती थी। मुझे बिना बताये रोहित ने विदेश मे जाकर अपनी किडनी बेच दिया। उससे जो पैसा मिला उससे पूर्व मे लिया गया गांव का कर्ज चुका दिया। जो पैसे बचे उनसे सेकण्ड हैण्ड गाडी लेकर ओला मे चलाने लगा हम लोगो के दिन बहुत अच्छे से कट रहे थे। कि 2019 मे मेरी बडी बेटी पैदा होने को थी तब मेरी दीदी ममता आयी तथा कुछ दिन रही तथा वापस चली आयी मेरी पति ने बताया कि जिनकी किडनी खराब रहती है तथा उनको ट्रान्सप्लान्ट की आवश्यकता थी। वह लोग फेसबुक के माध्यम से प्रचार प्रसार करते है मै व मेरे पति फेसबुक के माध्यम से दिखने वाले ऐड से जुड गये तथा मेरे पति ने कोलकाता जाकर इधर-उधर से प्रपत्र तैयार कर किडिनी डोनोट कराया। वादिनी की पत्नी को किडिनी देने की बात के सम्बन्ध मे मेरे पति से बात हुई मेरे पति और मैने मिलकर खोजबीन करते हुए 01 व्यक्ति को तैयार किया। मै व मेरे पति कोलकाता जाकर प्रपत्र तैयार कराया गया तथा कुछ रुपये व्यक्ति को उपलब्ध करा दिये गये इसी बीच बात बिगड गयी तथा व्यक्ति अब किडनी देने को तैयार नही है। इन्द्रपाल सिंह पैसा मांगने लगे, मेरी उनसे फोन पर कुछ नोक झोंक हुई थी।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-
1. 01 अभियुक्ता

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
निरीक्षक शशिकान्त यादव मय हमराह कां० मनोज व म0का0 अर्चना वर्मा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर-
थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म, अपहरण व पॉक्सों एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में-

थाना मानिकपुर पुलिस टीम द्वारा 01 बाल अपचारी को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत देशराज का इन्दारा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय के मार्ग दर्शन व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री रामसूरत सोनकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम/अंकुश लगाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर श्री दीप नारायण के नेतृत्व में उ0नि0 मो0 नदीम खान मय हमराह का० राजेश कुमार द्वितीय, का० भीमराव द्वारा दिनांक 24.05.2025 को देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारंटी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना मानिकपुर में पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 137 (2)/87/65 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)5,3(2) 5क एससी/एसटी एक्ट से संबंधित 01 बाल अपचारी को क्षेत्रान्तर्गत देशराज का इन्दारा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 मो0 नदीम खान मय हमराह का० राजेश कुमार द्वितीय, का० भीमराव थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना अंतू-

थाना अंतू पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अंतू के उ0नि0 चन्द्रबली सिंह मय हमराह का० लाखन सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मु0नं0 185 / 2022 धारा 138 NI एक्ट थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ से संबंधित 01 वारंटी कुलदीप यादव पुत्र श्रीपति यादव नि0 ग्राम पूरे अन्ती थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र 34 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. कुलदीप यादव पुत्र श्रीपति यादव नि0 ग्राम पूरे अन्ती थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र 34 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 चन्द्रबली सिंह मय हमराह का० लाखन सिंह थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।